न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 44 / 2024 (उदयपुर आर्डर)

सखा उर्फ सुखलाल पिता कन्ना जी डांगी, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. मेघराज पिता वरदा जी डांगी, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती सरसी पिता वरदा जी डांगी, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती प्यारीबाई पिता वरदा जी डांगी, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती मोतीबाई पिता कन्ना जी डांगी, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती हेमीबाई पिता कन्ना जी डांगी, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती रम्भा पिता कन्ना जी डांगी, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. लच्छा पिता कन्ना जी डांगी, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, नवीन तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज॰
काश्त॰ अधि॰1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, मावली दि0
12.11.2024 प्रकरण [illegible]/15

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:03:55 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :– 1– श्री खेमराज डांगी अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री देवराम डांगी अभिभाषक रे.सं. 1 से 3

———::———

निर्णय **दिनांक 18–03–2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता वरदा ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19–04–2010 को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की गयी, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने वर्ष 2015 में आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करने का निवेदन किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12–11–2024 को निरस्त कर दिया गया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 26–11–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अभिभाषक श्री देवराम डांगी उपस्थित हुए, शेष रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के एकतरफा आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया वह कानूनी प्रावधानों के विपरीत निरस्त किया गया है, क्योंकि न्यायालय द्वारा चस्पानगी का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है तथा बिना आदेश के सम्मन चस्पानगी की कार्यवाही की गयी है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अपने उक्त कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरों RRT 2020 (1) Page 372, RRT 2012(2) Page 1381, RBJ 2004 Page 38,

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:03:55 IST
Reason: SelfAttested

RBJ 2005 Page 29, 103, RBJ 2002 Page 404, 489, RBJ 1999 Page 93, 1977 Rajasthan Page 180 का हवाला दिया।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि पक्षकारान एक ही खानदान के हैं तथा चस्पानगी के गवाह उपस्थित हैं। दिनांक 04–03–2008 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश हुए हैं तथा दिनांक 19–04–2010 को डिक्री जारी हुई है। दिनांक 29–09–2015 को आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र विधिवत सुनवाई कर खारिज हुआ है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि इसी आराजी बाबत् अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 19–04–2010 के विरूद्ध जो अपील संख्या 146/24 प्रस्तुत की गयी थी, उस पर विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलान्ट की उक्त अपील आज दिनांक को ही स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के विरूद्ध प्रस्तुत अपील का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तद्नुसार अपील इन्फैक्चुअस हो जाने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट इन्फैक्चुअस होने से खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 18–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:03:55 IST
Reason: SelfAttested